650

637 5000 Rs.

# INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs. 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

(1)

सुमन प्रकाश तिर्की
12/7/2013

[illegible] १२ क [illegible] एवं [illegible]
[illegible]कारी अधिनियम 1908 की धारा
46(1) f 208 के अधीन
[illegible]: भारतीय स्टाम्प अधिनियम
/इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूची
1 का 1 क संख्या ............ I A
[illegible] यथावत [illegible]
[illegible] (का स्टाम्प शुल्क से [illegible]
[illegible] संदेहित नहीं।

[signature] 12.7.13

With the permission by L.R.D.C. Simdega vide case No 382/2013-14 order dt 26-04-13

12/07/13

﴾1﴿ लेखयकारी:- श्री सुमन प्रकाश तिर्की पिता स्व० पतरस तिर्की, जाति- उराँव, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:- 412 | 2013

[right margin, handwritten:] ... उराँव (क्रिश्चियन) पिता श्री डोमनिक तिर्की ... खिजरी पुरनापानी ... जिला - सिमडेगा ... /2013

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.　　Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये　FIVE HUNDRED RUPEES



§2§ लेख्यधारिणी:- श्रीमति सुचिता सोरेंग पति श्री अशोक कुल्लू जाति- खड़िया, पेशा- नौकरी, निवास ग्राम- कोचेडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या:- 413 / 2013

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबलिग एक लाख पैंतालिस हजार रूपये अंके 1,45,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति:- खतियानी हिस्से की अन्दर मौजा-खिजरी पुरनापानी, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 05 §पाँच§ प्लॉट नं० 208 §दो सौ आठ§ रकबा 0.22 एकड़ में से 0.09$\frac{1}{2}$ एकड़ §साढ़े नौ डिसमिल§ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इम्मानुवेल एक्का का चौंरा,

दक्षिण:- भूषण तिर्की का दोन,

पूरब :- तालाब इम्मानुवेल एक्का का,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश ।

मालगुजारी 5 पैसा §पाँच पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

कुमार प्रभात [illegible]
12/7/2013

[illegible] लकड़ा पिता स्व० बिमल टेक्नीस लकड़ा
ग्राम- खिजरी पुरनापानी
थाना + जिला - सिमडेगा
12.7.2013

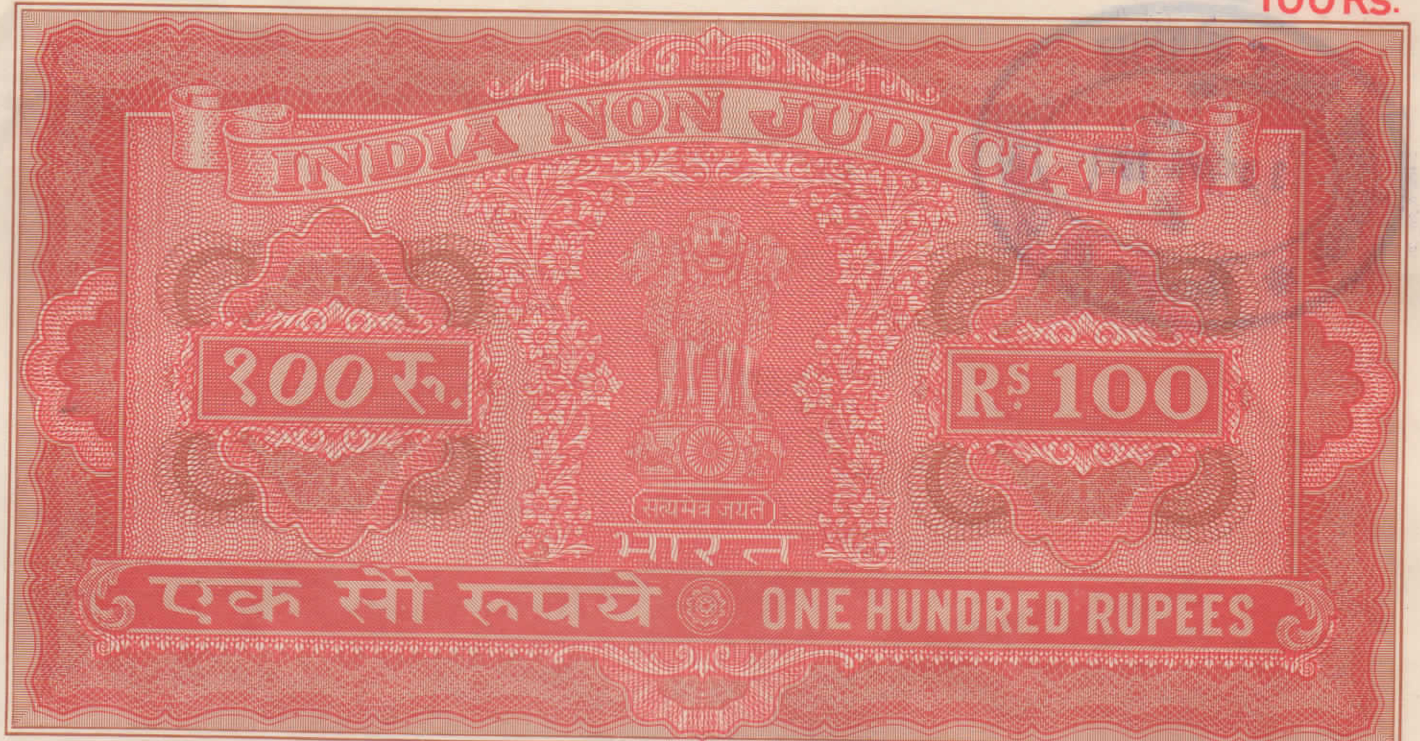


--3--

§1§ चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§3§ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत जमीन लेख्यकारी की खतियानी जमीन है जो आर.एस. में अन्धेरियस उराँव वो खुदी उराँव के नाम से दर्ज है । बिक्रीत जमीन खुदी उराँव के हिस्से की जमीन है जिसकी मृत्यु हो चुकी है । उसे एक पुत्र पतरस उराँव हुआ उसकी भी मृत्यु हो चुकी है । उसे भी सिर्फ एक पुत्र सुमन प्रकाश तिर्की §लेख्यकारी§ है जो बिक्रीत जमीन को उत्तराधिकारी के हैसियत से प्राप्त हुई है जिसपर लेख्यकारी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं है ।

सुमन प्रकाश तिर्की
12/7/2013

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES



{4} चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अत: जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 382/2012-13 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 26.04.013 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं0 424{ii} दिनांक 26.04.2013 है ।

{5} अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फ़ायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

{6} इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

12/7/2013

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50RS.

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सुमन प्रकाश तिवारी
12/7/2013

सुमन प्रकाश तिवारी
12/7/2013

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी श्री सुमन प्रकाश तिवारी के बाँये हाथ के पांचो अँगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Sita Ram Mahto
Advocate
12.7.2013

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

Suchita Soreng.
12.7.013

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी श्रीमति सुचिता सोरेंग के बाँये हाथ के पांचो अँगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया है।

Sita Ram Mahto
Advocate

50 Rs.

पचास रूपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS.



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- Sita Ram Mahto Advocate 12.7.2013

{प्रारूपकर्त्ता}

तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 638 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक

मो० मकसुद 12.7.13

मो0 मकसुद

कचहरी परिसर,

सिमडेगा ।

सुमन प्रकाश लिखित

12/7/2013